

उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2
संख्या-भा0स0 18/43-2-2010
तखनऊ : दिनांक 12 अगस्त, 2010

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग द्वारा महत्वपूर्ण जनसेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं की अपने कार्यों के प्रति वचनबद्धता हेतु एक बिल The Public Services (Protection and Regulation) Bill, 2010 तैयार किया गया है। बिल के सम्बन्ध में राज्य सरकार का मत स्थिर करने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में निम्नलिखित अधिकारियों का एक कोर ग्रुप गठित किया जाता है :-

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री आर0 के0 शर्मा,
कृषि उत्पादन आयुक्त। | अध्यक्ष |
| 2. श्री अनूप मिश्रा,
प्रमुख सचिव, वित्त विभाग। | सदस्य |
| 3. श्री नवतेज सिंह,
प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग। | सदस्य |
| 4. श्री कौपर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग। | सदस्य |
| 5. श्री के0 के0 शर्मा,
प्रमुख सचिव, न्याय विभाग। | सदस्य |
| 6. श्री प्रशान्त त्रिवेदी,
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। | सदस्य |
| 7. श्री डी0 एस0 मिश्रा,
प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री। | सदस्य |
| 8. श्रीमती अनीता सिंह,
सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग। | सदस्य सचिव |


उक्त ग्रुप द्वारा प्रस्तावित बिल का परीक्षण कर राज्य सरकार के स्तर पर मत स्थिर किया जायेगा।

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव।

संख्या-भा0स018(1)/43-2-2010, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- उक्त कोर ग्रुप में नामित समस्त सदस्य।

आज्ञा से,

(अनीता सिंह)
सचिव।